

22/6
22

पत्रावली पेश। वकील द्वारा उपस्थित।
वकील सार्थ ने निवेदन किया कि
यह प्राथमिक पत्र जोल्सेस के आधार पर
कार्रिज किया जावे। निवेदन स्वीकार
करके हुए यह सार्थक पत्र जोल्सेस
के आधार पर इसी स्तर पर
कार्रिज किया जाता है। पूर्व में जारी
अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक
23/02/21 निरस्त की जाती है। पत्रावली
आप्त तरीक तत्काल होकर दूरिक्त
दस्तावेज हो।

(प्रमिला धर)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना

मजिस्ट्रेट्स

